मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2016 की सायं 6.30 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) परियोजना के अन्तर्गत एस0एल0एस0एम0सी0 की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त बिन्दुवार निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0 1:–

दिनांक 25.06.2015 के बाद आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत 08 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास (एफोर्डेबुल हाऊसिंग) से डवटेल।

राज्य सरकार द्वारा संचालित आसरा योजनान्तर्गत तैयार की गयी 08 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे घटक भागीदारी में किफायती आवास (एफोर्डेबुल हाऊसिंग) के अन्तर्गत अंतर्ग्रथन (डवटेल) किया जाना प्रस्तावित है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	जनपद/नगर निकाय का नाम	आवासों की संख्या	परियोजना का विवरण		
			परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश
1	बांदा/बांदा	348	1713.60	522.00	1191.60
2	बरेली/फरीदपुर	336	1643.66	504.00	1139.66
3	जौनपुर/मडियाहूं	144	691.77	216.00	475.77
4	कासगंज/सोरों	252	1300.14	378.00	922.14
5	मैनपुरी/ज्योतिखुडिया	120	618.71	180.00	438.71
6	शाहजहांपुर/जलालाबाद	276	1346.78	414.00	932.78
7	शाहजहांपुर/तिलहर	108	548.84	162.00	386.84
8	सोनभद्र/चुकगुर्मा	120	566.05	180.00	386.05
	कुल योग	**1704**	**8429.55**	**2556.00**	**5873.55**

प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार उक्त घटक में परियोजना में न्यूनतम 250 आवास, जिसमें 35 प्रतिशत (88 आवास) ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के होने चाहिए। उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या–3, 5, 7 व 8 में आवासों की संख्या 250 आवास से कम है, परन्तु परियोजना के न्यूनतम कुल आवासों का 35 प्रतिशत अर्थात 88 आवास से अधिक है और ये समस्त आवास ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी के हैं। शहर की आवश्यकता एवं भूमि की उपलब्धता को देखते हुए उपरोक्त परियोजनाओं को पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के लिए तैयार किया गया है। उपरोक्त सभी परियोजनाओं में अवस्थापना सुविधायें यथा–सड़क, बिजली, पानी एवं सीवरेज आदि का प्राविधान किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त डी0पी0आर0 में प्रति आवास कारपेट एरिया लगभग 18 वर्ग मी0 है जबकि योजना की गाइडलाइन के अनुसार एन0बी0सी0सी0 के मानकों के अनुसार न्यूनतम कारपेट एरिया 21 वर्ग मी0 होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा आसरा योजनान्तर्गत प्रति आवास की ड्राईंग व दरें मानकीकृत की गयी हैं व इसमें किसी प्रकार का बदलाव सम्भव नहीं है।

उपरोक्त 08 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के एर्फोडेबुल हाऊसिंग के अन्तर्गत डवंटेल करने की एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। अतः न्यूनतम 21 वर्ग मी0 कारपेट एरिया में उक्त सीमा तक शिथिलीकरण प्रदान करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध कर लिया जाये।

उपरोक्त परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी सदस्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिशिचित किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

सचिव
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
संख्या–840(1)/69–1–2016–14(235)/2015
लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2016

कार्यालय–आदेश

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उ0प्र0।
13. संयोजक, राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा।

26.04.2016
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत एस0एल0एस0एम0सी0 की बैठक दिनांक 25.04.2016 की उपस्थिति

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विभाग / पदनाम	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
	वी०के० एल० श्रीवास्तव	विशेष सचिव, वित्त		[illegible]
	शैलेन्द्र कुमार सिंह	निदेशक सूडा		[illegible]
	संजय कुमार वर्मा	एस०एल०बी०सी०/सहायक महाप्रबन्धक	9565833381	[illegible]
	एस०एन० श्रीवास्तव	एस०एल०बी०सी०/प्रबन्धक	9839129432	[illegible]
	के० मोहन	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, प्रतिनिधि CTCP	—	[illegible]
	एल०पी० सिंह	विशेष सचिव, नागरीय रोजगार	9454413791	[illegible]
	शिवजनम चौधरी	विशेष सचिव [illegible]	9454411073	[illegible]
				[illegible]